भारत के मुख्य न्यायाधीश

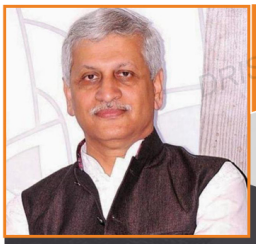

भारत के मुख्य न्यायाधीश
(सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख)
CHIEF JUSTICE OF INDIA
(Head of the Supreme Court)

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (CJI):

- **जस्टिस उदय उमेश ललित**

अर्हता:

- भारत का नागरिक हो।
- निम्नलिखित में से किसी एक अर्हता को पूरा करता हो:
  - किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम **5** वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा
  - किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम **10** वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा
  - राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।
- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु-सीमा निर्धारित नहीं की है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश **65** वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं।

नियुक्ति:

- **CJI** की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद **124 (2)** के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रोटोकॉल के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को **CJI** के रूप में नामित किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश के संबंध में आधिकारिक तौर पर मौजूदा **CJI** द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय को सूचित किया जाता है, जिसे आगे प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश पर सलाह देता है और राष्ट्रपति इसकी बाद में नियुक्ति करता है।

भूमिका:

- राष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ।
- "मास्टर ऑफ द रोस्टर", **CJI** के पास सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिये बेंच गठित करने की शक्ति है। **CJI** तय करता है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा और कब करेगा।
- **CJI** (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ) से राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये परामर्श किया जाता है।
- **CJI** संविधान के अनुच्छेद **127** के तहत सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी से **CJI** दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थानातरित कर सकते हैं
- **CJI** केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद को सुलझाने के लिये मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

हटाए जाने की प्रक्रिया:

- राष्ट्रपति के आदेश से
  - संसद द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक समावेदन के बाद ही किया जा सकता है।
  - संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित (अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से)।
- निष्कासन का आधार- सिद्ध कदाचार या अक्षमता (अनुच्छेद **124(4)**)।

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में फैसला सुनाया कि CJI का कार्यालय RTI अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है।

[और पढ़ें.....]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-justice-of-india-2